मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य शासन के कर्मचारियों के वर्तमान मूल वेतन के 50% के बराबर महँगाई भत्ते का दिनांक 1-4-2007 से महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तन ।

****

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-4-2007 से वर्तमान मूल वेतन के 50% के बराबर महँगाई भत्ता, महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया जाए और पृथक से महँगाई वेतन (Dearness Pay) के रूप में दर्शाया जाए, जो केवल महँगाई भत्ते, एवं सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के प्रयोजन के लिये मूल वेतन समझा जावेगा । अन्य विभिन्न भत्तों के भुगतान, स्थानान्तर अनुदान, सामान्य भविष्य निधि में/से अंशदान/आहरण, लायसेंस फी, विभिन्न अग्रिम, अवकाश यात्रा सुविधा, दौरे एवं स्थानातंरण पर टी.ए. / डी.ए., शासकीय आवास की पात्रता आदि के मामले, महँगाई वेतन को गणना में लिए बिना, केवल मूल वेतन के आधार पर ही शासित होगें ।

2. महँगाई वेतन के रूप में परिवर्तित महँगाई भत्ते को महँगाई भत्ते की विद्यमान दर से घटाया जायगा । वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के अनुसार वर्तमान में राज्य शासन के कर्मचारियों को मूल वेतन के 70% की दर से महँगाई भत्ता देय है । परिणामत:, दिनांक 1-4-2007 (माह अप्रैल, 2007 का वेतन माह मई, 2007 में देय) से मूल वेतन तथा महँगाई वेतन पर 20% की दर से महँगाई भत्ता देय होगा । महँगाई भत्ते के नियमन हेतु अन्य प्रावधान वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के अनुसार लागू होगें ।

3. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि दिनांक 1-4-2007 से 31-1-2008 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन निर्धारण में कोई हानि न हो, उनके मामलों में विशेष व्यवस्था के रूप में, दिनांक 1-4-2007 के पूर्व की अवधि हेतु उनके द्वारा आहरित मूल वेतन के 50% के बराबर महँगाई भत्ता, पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिए मूल वेतन समझा जायगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/04/10/07

पृ. क्रमांक : एफ 4-2/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2007

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(पी.सी. वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/04/10/07